

उत्तर प्रदेश सरकार  
नियुक्ति आयोग-4

Request-189

संख्या-1511/दो-4-2001-52121/98टी0ती0  
लखनऊ : दिनांक 17 मई, 2001

पिछित/नियुक्ति

संगणक के पत्र संख्या-484/दो-4-2001-52121/98टी0ती0, दिनांक 15-3-2001 के अन्तर्गत में लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा आयोजित आर० न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगितात्मक परीक्षा 1999 के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/न्यायाधीश जज (सी०) के पद पर इत प्रतियोगिता के साथ नियुक्ति करके उच्च न्यायालय में नियुक्ति लिखित न्यायालय/जनसद में तैनात किया जाती है कि उनके नियुक्तियां उच्च न्यायालय के संदर्भ में उच्च न्यायालय लखनऊ के लखनऊ में द्वारा रिट या तिका संख्या 1511/दो-4-2001/98टी0ती0 एवं अन्य न्यायालयों में द्वारा याचिकाओं में पर रिट जन्तिय विनिर्दिष्ट होनी एवं उनको पारस्परिक ज्येष्ठता पहले नियुक्ति में ज्येष्ठता बाट में किये जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ बाद में निर्धारित की जायेगी :-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	पद
1	सर्वश्री	
2	मुन्ना रचना अरोड़ा	
3	पंकज मिश्रा	
4	रत्नमान हुतैन	
5	प्रमोद कुमार	
6	श्रीमती आदेशा नैत	
7	मनोज कुमार अग्रवाल	
8	कुशाग्र चन्द्र	
9	ज्ञान प्रकाश	
10	राजेश्वर प्रसाद	
11	श्रीमती रश्मि मन्दा	
12	कमल सिंह	
13	यशराज सिंह	
14	विजय शंकर	
15	विजेश कुमार	
16	विजयपाल	
17	तत्त्व प्रकाश द्विवेदी	
18	श्रीमती प्रीति सिंह	
19	राजेश वर्मा	
20	डू० विधानी जायतवाल	
21	डू० शशिवा नजर जैदी	

Urgent  
D.R. (S)

Regr. Gen

Request-139

- 21- नरेन्द्र कुमार सिंह का ति
- 22- होरा लाल
- 23- गोपाल उपाध्याय
- 24- कुंभी ति श्रीवास्तव
- 25- अमीक कुमार
- 26- श्री 0 रिजवान अहमद
- 27- जयदेव कुमार
- 28- तृपाज चन्द्र मुखर श्री हरी राम
- 29- उदयमान सिंह
- 30- विनोद कुमार वरमवाल
- 31- अरविन्द कुमार श्री निव
- 32- अरविन्द कुमार सिंह
- 33- इन्दिरा बी आलम
- 34- अरुण कुमार सहा
- 35- अक्षय कुमार श्रीवास्तव
- 36- रामचन्द्र यादव
- 37- अमीक पाण्डे
- 38- अमीक कुमार मुखर श्री विमलान्दिर मरवात
- 39- कुंभी ति श्रीवास्तव मुखर श्री आइओटी
- श्रीवास्तव
- 40- चन्द्रमणि
- 41- तुनील कुमार वर्मा
- 42- रमेश कुमार
- 43- श्रीमती अचना प्रसाद
- 44- तुनीत चन्द्रा अमी तोनू
- 45- अरविन्द राम

- तिहा धनेगर
- इलाहाबाद
- रटा
- सीतापुर
- अम्बेडकरनगर
- कानपुर नगर
- हमीरपुर
- रामपुर
- गोरखपुर
- प्रतापगढ़
- दो
- दो
- मौनु
- मैनाबाद
- सीतापुर
- सीतापुर
- इटावा
- मुल्तापुर
- मौनु
- मुजफ्फरनगर
- हरदोई
- बहराईच
- रटा
- रंगपुर
- मिर्जापुर

तहना-15/1/2001/वो-4-2001/तद्विवाक 1

प्रदीप गुजाला

सचिव

- प्रतिलिपि निम्नलिखितको सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- निदेशक, मुद्रण विभाग सांगी, 3090 इलाहाबाद को 3090 नम्बर के आगोबी हिन्दी तथा अर्द्ध अंक में प्रकाशनाथ ।
  - 2- निदेशक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सा 0 उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1696/48क-5-एडमिन्-म-3, दिनांक 1-2-2001 के तदर्थ में दत्त विज्ञापन को 45 प्रतियों तथा संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रमत्री एवं उनके नंबरनको सहित दत्त मन्तव्य के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थियों में से सा कोई अभ्यर्थी सा 0 उच्च न्यायालय के दत्त नियमित क्रम सूची में बिना सहचि

Request-139

कार्यो के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है तो स्थिति से ज्ञातन को तुरन्त अवगत कराने का क्वट करें।

सचिव, लोक सेवा आयोग, 3090 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-51/1/ई-5/99-2000, दिनांक 28 अक्टूबर, 2000 के संबंध में।

नियुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, 3090 सिविल कार्यालय नवीन कोषागार भवन इलाहाबाद।

संबंधित जिला तथा तत्र न्यायाधीशों को इस पत्रव्यव सहित प्रेषित कि वह अपने जनपद में तैनात किये जा रहे अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा योगदान प्रस्तुत करने पर निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा ज्ञातन के नियुक्ति अनुभाग-4 को तुरन्त अवगत कराने का क्वट करें।

निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान 3090 सी.सी.नगर, लखनऊ।

प्रमुख सचिव, न्याय/संतदोय/विधायी विभाग एवं विधि परामर्शी, 3090 सी.सी.नगर।

न्याय अधीनस्थ न्यायालय अनुभाग-।

संबंधित अभ्यर्थियों को इस निर्देश सहित प्रेषित कि वह अपनी तैनाती के संबंध में निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद से तत्काल तस्पर्क स्थापित करें तथा

पाठ उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तस्पर्क सीमा में अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना तसुचित कारणों के वह पाठ उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तस्पर्क सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते है तो

उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में उम्मीद है कि वे

दाया फिर इस सेवा में नियुक्ति के लिए नहीं रहेगा। अभ्यर्थी को तसुचित सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने

इच्छुक नहीं है तो उसको लिखित रूपना निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा सचिव उत्तर प्रदेश सी.सी.नगर नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेजें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज 100 डिवी के पद पर उनकी नियुक्ति

अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ ही जा रही हैं कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान 3090 लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर दिनांक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

अभ्यर्थी जब तक सिविल जज 100 डिवी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक अस्थायी कर्मचारियों पर लागू शीतदोय

अधिसूचना संख्या-20/1/74-नियुक्ति-3, दिनांक 11 जून, 1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेगें। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई धात्रा भत्ता अनुमत्त नहीं होगा।

आज्ञा से,

  
सुसुदलता श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव।